"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014—वैशाख 19, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2014

क्रमांक ई-01-14/2009/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-11-2010 द्वारा श्री एलेक्स व्ही.एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006) को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड 3, रुपये 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रुपये 6600) में पदोन्नत करते हुए उक्त वेतनमान का लाभ दिनांक 31-07-2010 से प्रदाय किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 03-11-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एलेक्स व्ही.एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड 3, रुपये 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रुपये 6600) का लाभ दिनांक 01-01-2010 से प्रदान करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री डॉ. बी. एल. तिवारी, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1996), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर एवं आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्रमांक ई-1-6/2014/1/2.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किए गए हैं
1.	श्री अजीत वसंत	सरगुजा
2.	श्री गौरव कुमार सिंह	रायगढ़
3.	श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल	कोरबा
4.	श्री जगदीश सोनकर	कांकेर
5.	सुश्री नम्रता गांधी	राजनांदगांव
6.	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा	बस्तर
7.	श्री विनीत नंदनवार	बिलासपुर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2014

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-28/2013/32.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-1-2014 जो रामानुजगंज निवेश क्षेत्र के गठन तथा निवेश क्षेत्र सीमायें निर्धारित करने संबंधी है, में निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

1. **आदेश की तृतीय पंक्ति में** — जिला सरगुजा के स्थान पर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज,

2. **अनुसूची पूर्व में** — ग्राम रामानुजगंज के स्थान पर रामानुजगंज.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 20-109/2009/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-109/2009/11/(6), दिनांक 22-10-2010 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

अर्थात्

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2009-14 की कंडिका 9 के उप कंडिका 2 के अंतर्गत प्रमुख सचिव/सचिव के समक्ष की गई द्वितीय अपील की सुनवाई विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जायेगी तथा भारसाधक सचिव के अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किया जायेगा.

शेष नियम यथावत होंगे. यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 10-6/2014/16.—कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 के तहत् श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(ई)8/96/16-ए (1) दिनांक 26-06-1998 द्वारा सहायक श्रमायुक्तों को कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त के प्रदत्त अधिकार राज्य शासन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. F 10-6/2014/16.—In exercise of powers conferred by section 20 of Worksmen Compensation Act, 1923, the State Government hereby, withdraws powers conferred as Worksmen Compensation Commissioner to the Assistant Labour Commissioners by Labour Department Notification No. F-4(e)8/96/16-A-(1) dated 26-06-1998.

Raipur, the 25th April 2014

No. F 10-5/2014/16.—In exercise of the powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby amends the form-21 (Health Register) prescribed under rule 19 of C.G. factories rules 1962 by addition of the proforma for Pre-employment medical examination and Periodic medical examination for the persons to be employed or employed in the factories involving Hazardous processes or dangerous operations, as mentioned below.

The provisions of other specific pre-employment examination and periodic medical examination of persons, mentioned in Rule 107 of C.G. factories rules 1962 shall remain applicable for the class of factories wherever specified.

FORM 21

[Prescribed under Rule (19)]

Health Register

(In respect of persons employed in occupations declared to be dangerous operations under Section 87)

Name of Certifying Surgeon				(a) Shri (b) Shri (c) Shri	From From From	To To To		
Serial No.	Works No.	Name of Worker	Sex	Age (last birth day)	Date of employment on present work	Reason for leaving transfer of discharge	Reason for leaving transfer or discharge	Nature of job or occupation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Raw material or by product handled	Date of Medical Examination by Certifying Surgeon and result of medical Examination	If suspended from work, state period of suspension with detailed reasons	Recertified fit to resume duty on (with signature of certifying surgeon)	If certificate of unfitness of suspension issued to work	Signature with date of certifying surgeon
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)				

Note :— (i) Column (8) — Detailed summary of reasons for transfer of discharge should be stated.

(ii) Column (11) — Should be expressed as fit/unfit/suspended.

Annexure

PRE-EMPLOYMENT & PERIODIC MEDICAL EXAMINATION

(1) GENERAL EXAMINATION :

Height .... CM, Weight ....KG, BMI ....

Chest : Inspiration .... CM, Expiration ....CM

Built- Average/Strong/Poor

Throat ....,Tongue ...., Tonsils ....

Teeth .... Gums .... Thyroid ....

Lymph Nodes ....

Additional Findings ....

(2) CARDIO-VASCULAR SYSTEM :

Pulse ..../MIN. Regular/Irregular Peripheral Pulse-Felt/Not Felt

B.P. .... mm of Hg.

Heart Sound : ....

Murmur, If Any ....

Additional Finding (S), If Any ....

(3) RESPIRATORY SYSTEM :

Shape of Chest ....

Chest Movements ....

Trachea ....

Breath Sounds ....

(4) GASTRO-INTESTINAL SYSTEM :

Liver .... Spleen ....

Any Abdominal Lumps ....

(5) EXAMINATION OF EYES :

External Exam. .... Squint ....

Nystagmus ....

Colour Vision-Normal/Defective

Fundus (L) (R)

Individual Colour Identification-Normal/Defective

Distant Vision (Without Glasses)

Right .... Left ....

(With Glasses) Right .... Left ....

Near Vision (Without Glasses)

Right .... Left ....

(With Glasses) Right .... Left ....

Night Blindness : (NYCTALOPIA) : ....

(6) EXAMINATION OF EAR, NOSE & THROAT :

External Exam. ....

(7) GENITO URINARY SYSTEM :

Hernia .... Hydrocele/Varicocele ....

Cryptorchidism .... Phimosis ....

Varicose Venis .... Signs of STD ....

OTHER EXAMINATION FOR FEMALES :

Menstrual History Obstetric Histroy

Menarche At .... Yrs. Gravida .... Para ....

LMP- ....

Menstrual Irregularity, If Any

INVESTIGATIONS

(8) LAB INVESTIGATIONS :

Urine : Albumin .... Sugar ....

Microscopy .... Stool ....

HAEMOGRAM
Blood Group .... Rh factor .... Hb .... TLC .... RBC ....
DLC-P L E M B Platelets Count ....

UPID PROFILE
Serum Cholesterol: S/Triglycerides
HDL, LDL

HEPATIC PROFILE
SGPT: SGOT :
Alkaline Phosphatase :
RENAL PROFILE
Blood Urea : S/Creatinine

METABOLIC
Blood Sugar - F:, Blood Sugar - PP: S/uric acid : ....

(9) OTHER INVESTIGATION :
X-Ray Chest (in normal persons once in three years ....
in case of any abnormality x-ray can be done at shorter intervals)
ECG (In case of any abnormality further tests should be carried out) ....
Ultra Sound Whole abdomen (In normal persons once in three years in case of any abnormality can be done at shorter intervals) ....
Others : ....

(10) PULMONARY FUNCTION TEST

	FVC	FEV 1	FEV1/FVC
Predicted Measured % of Predicted			

Remarks :

(11) **Audiometry examination—** PTA of both ears at frequency of 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Cycles per second.

(12) **Medical examination of canteen staff**
a- Blood examination for venereal disease and routine blood examination.
b- Stool and urine examination for worm infection
c- Screening for skin diseases (scabies and others)
d- X-ray and other tests for T.B.

(13) Details of Other specific medical examination carried out as mentioned in the respective schedules of rule 107 of C.G. factories rules 1962.
....
....

Signature (with date) of factory Medical Officer

Signature (with date) of certifying surgeon

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्रमांक 749/2995/2013/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के उप-नियम (एक) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो."

2. नियम 14 में, अंक एवं शब्द "3 वर्षों" के स्थान पर, "5 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक

[नियम 4(1) तथा 5 देखिए]

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान/ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्य कार्यालय)	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4300	
2.	निज सहायक	1	—तदैव—	9300-34800+4300	
3.	अधीक्षक (श्रम न्यायालय)	3	—तदैव—	9300-34800+4300	
4.	सहायक लेखाधिकारी	1	—तदैव—	9300-34800+4300	
5.	सहायक अधीक्षक	16	—तदैव—	9300-34800+4200	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	3	—तदैव—	5200-20200+2800	
7.	लेखापाल (बेंच)	1	—तदैव—	5200-20200+2400	
8.	सहायक ग्रेड-दो	25	—तदैव—	5200-20200+2400	
9.	सहायक ग्रेड-तीन	26	—तदैव—	5200-20200+1900	
10.	स्टेनो-टाइपिस्ट	14	—तदैव—	5200-20200+1900	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	अन्य सेवा से सदस्यों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्य कार्यालय)	1	—	100%	—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	निज सहायक	1	—	100%	—	
3.	अधीक्षक (श्रम न्यायालय)	3	—	100%	—	
4.	सहायक लेखाधिकारी	1	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
5.	सहायक अधीक्षक	16	—	100%	—	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	3	—	100%	—	
7.	लेखापाल (बेंच)	1	—	100%	—	
8.	सहायक ग्रेड-दो	25	—	100%	—	
9.	सहायक ग्रेड-तीन	26	75%	25%	—	
10.	स्टेनो-टाइपिस्ट	14	100%	—	—	

अनुसूची-तीन

[नियम 8 एवं 9 देखिए]

स. क्र.	सेवा/पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :— (क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये**- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी). (ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये**- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी). (ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये**- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी). (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी).	
2.	स्टेनो टाइपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी). (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).	
3.	सहायक ग्रेड-तीन	—तदैव—	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र. (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाइप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."	

No. 749/2995/2013/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (a) of sub-rule (I) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published."

2. In rule 14, for the word and figure "3 years", the word and figure "5 years" shall be substituted.

3. For Schedule-I, II and III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
[See rule 4(1) and 5]

S. No. (1)	Name of Posts included in the service (2)	Total number of duty posts (3)	Classification (4)	Scale of pay/ Grade pay (5)	Remarks (6)
1.	Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	1	Class-III	9300-34800+4300	
2.	Personal Assistant	1	—do—	9300-34800+4300	
3.	Superintendent (Labour Court)	3	—do—	9300-34800+4300	
4.	Assistant Account Officer	1	—do—	9300-34800+4300	
5.	Assistant Superintendent	16	—do—	9300-34800+4200	
6.	Stenographer Grade-III	3	—do—	5200-20200+2800	
7.	Accountant (Bench)	1	—do—	5200-20200+2400	
8.	Assistant Grade-II	25	—do—	5200-20200+2400	
9.	Assistant Grade-III	26	—do—	5200-20200+1900	
10.	Steno-Typist	14	—do—	5200-20200+1900	

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S. No.	Name of Service/ Post	Total number of duty posts	Percentage of number of the posts to be filled up			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By Promotion of the members of the Service [See rule 6(1)(b)]	By transfer/ on deputation from other Services [See rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	1	—	100%	—	
2.	Personal Assistant	1	—	100%	—	
3.	Superintendent (Labour Court)	3	—	100%	—	
4.	Assistant Account Officer	1	—	—	By deputation	
5.	Assistant Superintendent	16	—	100%	—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Stenographer Grade-III	3	—	100%	—	
7.	Accountant (Bench)	1	—	100%	—	
8.	Assistant Grade-II	25	—	100%	—	
9.	Assistant Grade-III	26	75%	25%	—	
10.	Steno-Typist	14	100%	—	—	

SCHEDULE-III
(See rule 8 and 9)

S. No. (1)	Name of Service/ posts (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)	Remarks (6)
1.	Stenographer Grade-III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, **OR** Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/ Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :— (a) **For Stenographer (Hindi)-** Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (b) **For Stenographer (English)-** Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (c) **For Bilingual Stenographer-** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Steno Typist	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, **OR** Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
3.	Assistant Grade-III	—do—	—do—	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, **OR** Passed old Higher Secondary Examination with First year Examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."	

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 1-77/2012/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम सेवाएं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम सेवा चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** ये नियम, अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे.

परन्तु शासन, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

4. **आरक्षण :—**

(1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगी.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **शिथिलीकरण :—**इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

7. **निरसन :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

अनुसूची

सीधी भर्ती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान तथा ग्रेड वेतन	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा/परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	क्या सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	वेतन बैण्ड रु. 4750-7440+ ग्रेड वेतन रु. 1400	100% पदोन्नति द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 18 से 35 वर्ष तक)	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9	—	श्रम आयुक्त	
2.	लैब अटेण्डेंट	02	-तदैव-	वेतन बैण्ड रु. 4750-7440+ ग्रेड वेतन रु. 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	-तदैव-	(विज्ञान) विषय के साथ (10+2) हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण	-तदैव-	-तदैव-	—	-तदैव-	
3.	भृत्य	47	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	5वीं उत्तीर्ण	-तदैव-	-तदैव-	—	-तदैव-	
4.	वॉचमेन	07	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	—	-तदैव-	

Raipur, the 28th April 2014

No. F 1-77/2012/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment of Class-IV Chhattisgarh Labour Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Labour Services Class-IV Recruitment Rules, 2014.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazetted.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and scale of pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the schedule :

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent of temporary basis.

4. **Reservation.—**
   (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, for Ex-serviceman, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, disabled persons and other persons belonging to other categories and shall be regulted in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper :

   Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

7. **Repeal.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

   Provided that, any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. R. MALVIYA, Deputy Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S.No.	Name of Post	Number of post	Classi-fication	Scale of pay and Grade Pay	Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or bu promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Perscribed Educational Qualification	Period of Probation/ Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed age limit and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment be promotion or transfer post from which promotion transfer will be made	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Daftari	01	Class-IV	Pay Band Rs. 4750-7440+ Grade Pay Rs. 1400	100% by Promotion	18 to 30 years (upto 18 to 35 years for domicile/resident of Chhattisgarh State)	5th passed	2 years	Column No. 7 to 9	—	Labour Commissioner	
2.	Lab Attendant	02	-do-	Pay Band Rs. 4750-7440+ Grade Pay Rs. 1300	100% by direct recruitment	-do-	(10+2) Higher Secondary passed with (Science) subjects	-do-	-do-	—	-do-	
3.	Peon	47	-do-	-do-	-do-	-do-	5th passed	-do-	-do-	—	-do-	
4.	Watch man	07	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	—	-do-	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करनपुर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	128	0.03
	119	0.06
	120	0.02
योग	3	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बेलगांव-नगरनार मार्ग के कि.मी. 1/2 पर इन्द्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष-2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मांढर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	766/11	0.061
	766/12	0.061
	836/1	0.202
	839/2	0.020
योग	4	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजन हेतु रेल्वे साइडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2014

क्रमांक/450/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./37 अ./82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 73/16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.37 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	138	0.47
	151	0.81
	158	0.26
	167	0.18
	168	0.47
	169	0.92
	171/1	0.20
	172	0.25
	178/2	0.81
योग	9	4.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर में योजना क्षेत्र (लेयर-01) के अंतर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2014

क्रमांक/452/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 33 अ./82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-बंजारी, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	67/1	0.13
	67/2	0.20
	67/3	0.15
	68/2	0.20
	73	0.01
	74	0.11
	88/1	0.24
	135	0.44
	136/2	0.16
	140	0.34
	141/1	0.07
	142/1	0.12
	142/2	0.04
	142/3	0.04
	142/4	0.02
	142/5	0.03
	145	0.08
	146/1	0.15
	146/3	0.09
	157/5	0.21
	211/1	0.04
	212	0.24
	222	0.15
	223	0.14
	224	0.29
योग	25	3.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास (फेस-2 के अन्तर्गत अतिरिक्त सड़क नं. 12 निर्माण) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2014

क्रमांक/453/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 34 अ./82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-चेरिया, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	172	0.28
योग	1	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनान्तर्गत नया रायपुर विकास हेतु फेस-2 के अंतर्गत ए.डी. रोड नं. 03 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी, 2014

क्रमांक-01/अ-3/2013-14.—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति रायगढ़ के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गणेशपुर (सिंसरिंगा)	357.704	उत्तर—आर.एफ.-159 दक्षिण—आर.एफ.-198 पूर्व—सिसरिंगा पश्चिम—वनखण्ड धरमजयगढ़	31	सिसरिंगा	धरमजयगढ़	रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी, 2014

क्रमांक-02/अ-3/2013-14.—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति रायगढ़ के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	धरमपुर (साजापाली)	199.009	उत्तर—जंगल दक्षिण—साजापाली पूर्व—जंगल पश्चिम—कुकरीखोरा	30	चिरोडीह	धरमजयगढ़	रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी, 2014

क्रमांक-03/अ-3/2013-14.—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति रायगढ़ के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	आमानारा (साजापाली)	301.119	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—माण्ड नदी पश्चिम—जंगल	30	साजापाली	धरमजयगढ़	रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी, 2014

क्रमांक-04/अ-3/2013-14.—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति रायगढ़ के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दाहीडाड़ (सल्का)	349.144	उत्तर—मेनपाट उरगा बस्ती, आर.एफ.-23 दक्षिण—सलखा लाईन आर.एफ.-21 पूर्व—आर.एफ. 22, 23 की सीमा पश्चिम—आर.एफ. 19, 20 की सीमा	19	सल्का	धरमजयगढ़	रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी, 2014

क्रमांक-05/अ-3/2013-14.—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति रायगढ़ के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पुसाउडेरा (कुमरता)	369.826	उत्तर—सरगुजा वनमण्डल ग्राम केसरा दक्षिण—आर.एफ. कुमरता वप्रस पूर्व—आर.एफ. 17 पश्चिम—आर.एफ. 15 बांस वृक्षारोपण	18	कुमरता	धरमजयगढ़	रायगढ़

मुकेश बंसल,
कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 964.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1009 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हीरापुर/25	181/1, 2, 3, 4	0.566
			182/1, 2, 3	0.125
			183/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0.685
			271	0.024
			184	0.004
			170/2	0.016
			170/1, 191	0.287
			192	0.080
			166/5	0.060
			166/2	0.050
			166/6	0.080
			146/1, 2, 3	0.445
			144/1, 2, 3, 4	0.088

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	हीरापुर/25	145/1, 2	0.240
			135	0.016
			133/1, 2, 3, 4, 5	0.565
			213/1, 2, 3	0.121
			83/1, 2, 3	0.445
			82/1, 2	0.485
			71	0.168
			70	0.080
			72	0.121
			73/1, 2	0.121
			74	0.032
			210/1, 2	0.020
			212/1, 2	0.040
			81/1, 2, 3, 4	0.405
			योग	**5.369**

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2014

क्रमांक 58/दो-2-20/2005.—श्री एम. पी. सिंघल, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19-03-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.